बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः यो04/मु.क्षे.वि.यो.–95/2013–243/यो0वि0,दिनांक 14 जनवरी, 2015

प्रेषक,

डा0 अरविन्द कुमार,
संयुक्त निदेशक

सेवा में,

सभी जिला योजना पदाधिकारी,
बिहार

विषयः **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।**

प्रसंगः विभागीय पत्रांक 5612 दिनांक 03.12.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति का प्रतिवेदन मुख्यालय स्तर पर भेजने की प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए विहित प्रपत्र I. II. I क एवं II क में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि योजना का मासिक प्रगति प्रतिवेदन ससमय मुख्यालय को प्राप्त नही कराया जाता।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन कराने का दायित्व बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण को दिया गया है। योजना की प्रगति की समीक्षा भी अब अभिकरण द्वारा ही की जायेगी।

निदेशानुसार अनुरोध है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की प्रगति का मासिक प्रतिवेदन बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण को निर्धारित तिथि (प्रत्येक माह की पाचवीं तारीख) तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय तथा इसकी प्रतिलिपि योजना एवं विकास विभाग, बिहार, मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को भी भेजी जाय।

विश्वासभाजन

(डा0 अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक

ज्ञापांकः यो04/मु.क्षे.वि.यो.–95/2013–243/यो0वि0,दिनांक 14 जनवरी, 2015

प्रतिलिपिः मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक

ज्ञापांकः यो04/मु.क्षे.वि.यो.–95/2013–243/यो0वि0,दिनांक 14 जनवरी, 2015

प्रतिलिपिः मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक

ज्ञापांकः यो04/मु.क्षे.वि.यो.–95/2013–243/यो0वि0,दिनांक 14 जनवरी,2015

प्रतिलिपिः विभागीय आई0टी0 मैनेजर को ई–मेल/विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक